

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक :- 3/अ0प्र0-1-26/2020 1427 /पटना/दिनांक :- 27.5.24  
प्रेषक,

डॉ० फातेह फैयाज,  
संयुक्त सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

निबंधित

सभी लोक सूचना पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार।

विषय :-

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर ससमय कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा वाद सं०-A8812/2019, A8815/2019, A8814/2019 एवं A8813/2019 श्री जटाशंकर झा बनाम लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी में आवेदक को 6/7 माह विलंब से सूचना उपलब्ध कराने के मामले में यह आदेश पारित किया गया कि इस विलंब को प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के संज्ञान में लाया जाय ताकि वे विलंब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकें।

राज्य सूचना आयोग से प्राप्त आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुरूप भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने में संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी विलंब नहीं करेंगे, इस आशय का निदेश संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी को देने का आदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया है।

अतः उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

  
(डॉ० फातेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-26/2020 1427 /पटना, दिनांक :- 27.5.24  
प्रतिलिपि :- अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव

हमारे पत्रों के

(1)


ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-26/2020

1429

/पटना, दिनांक :- 27.5.24

अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर

  
संयुक्त सचिव